

प्रेषक,

मिशन निदेशक,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०,
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/एम०आई०एस०/बजट/2016-17/51-एच/84632 दिनांक: 13-11-17

विषय:- ए०एम०सी० हेतु जनपदों को वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु 03 माह (01 अक्टूबर 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक) के बजट आवंटन एवं मानकों के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आर०ओ०पी० 2017-18 (ROP F.No. 10(7)/2017-NHM-I Dated 06.06.2017) में प्राप्त स्वीकृति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यकारी समिति की 99वीं बैठक दिनांक 30.06.2017 के एजेण्डा मद संख्या 99.70 में लिये गये निर्णय के क्रम में, मिशन फ्लैक्सीपूल में एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस० के अन्तर्गत एफ०एम०आर० कोड संख्या B15.3.2.5- AMC of Computer / Printer / UPS हेतु निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:-

“Approved Rs. 74.14 Lakh for AMC @ Rs. 4,000/- per year per computer/printer/UPS for 1,771 equipments (820 Block MCTS+823 Block HMIS+128 DH) and @ Rs. 4,400/- per year per computer /printer/ UPS for 75 DPM Units. These are indicative rates, final rates are to be arrived at as per DGS&D rate contract or after competitive bidding following Government protocols. State must ensure that these equipments are not covered by post-sale warranty/guarantee. State must ensure 100% facility based reporting on HMIS&MCTS/RCH portal and improvement in data quality thereof.”

उक्त मदों में स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु मानकों का विवरण निम्नानुसार है:-

- AMC @ Rs. 4,000.00 per year per computer basis for 820 Block MCTS computers.
- AMC @ Rs. 4,000.00 per year per computer basis for 823 Block HMIS computers.
- AMC @ Rs. 4,000.00 per year per computer basis for 128 District Hospital HMIS computers.
- AMC @ Rs. 4,400.00 per year per computer basis for 75 DPMU computers.
- ब्लॉक एवं जिला स्वास्थ्य इकाइयों में कम्प्यूटर प्रिन्टर्स एवं यू०पी०एस० के ए०एम०सी० हेतु रु० 4000.00 प्रति कम्प्यूटर वार्षिक की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। इस मानक के अनुसार स्वास्थ्य इकाइयों में स्थापित 1771 (820 Block MCTS+823 Block HMIS+128 DH) कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू०पी०एस० के ए०एम०सी० (वार्षिक रख-रखाव) उपयोग हेतु एवं एण्टी-वायरस आदि पर नियमानुसार व्यय किया जाएगा।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार स्तर से जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों हेतु स्वीकृत कम्प्यूटर प्रिन्टर्स एवं यू०पी०एस० की ए०एम०सी० हेतु रु० 4,400.00 प्रति कम्प्यूटर वार्षिक की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। इस मानक के अनुसार जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों में स्थापित 01 कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू०पी०एस० के ए०एम०सी० (वार्षिक रख-रखाव) उपयोग हेतु एवं एण्टी-वायरस आदि पर नियमानुसार व्यय किया जाएगा।
- जनपद में आपूर्ति सभी कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू०पी०एस० की ए०एम०सी० का अनुबन्ध करने से पूर्व स्थानीय एजेंसियों से कोटेशन आमंत्रित किये जायें तथा नियमानुसार प्रक्रियाएं अपनाते हुए डी०एच०एस० के अनुमोदनोपरान्त अनुबन्ध की कार्यवाही की जाये। प्रत्येक कम्प्यूटर पर एन्टीवाइरस साफ्टवेयर उपलब्ध हो इस हेतु भी कार्यवाही नियमानुसार की जानी है। वार्षिक रखरखाव के अन्तर्गत कंज्यूमेबिल, प्लास्टिक पार्ट्स टोनर इत्यादि शामिल नहीं होते हैं तथा अन्य सभी स्पेयरस शामिल किये जाते हैं।

जनपदवार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

FMR Code: B.15.3.2.5, AMC OF COMPUTER/PRINTER/UPS
(From 01-Oct-17 to 31-December-2017)

Sl No.	Districts	No. of Block	DCII	DMH	DWH	Total units	No. of Block level MCTS computers	Total	For AMC of computers, printers and UPS @ Rs 4000	For AMC of DPMU MIS computers, printers and UPS @ Rs 4400	Total amount for AMC in Rupees. (For 03 Month)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6	Col.7= Col.(3+4+5+6)	Col.8	Col.9= Col.(7+8)	Col.10= Col.9 x Rs.4000	Col.11	Col.12= Col.(10+11)/12*3Month
1	Agra	15	0	1	1	17	15	32	128000	4400	33100
2	Aligarh	12	1	1	1	15	12	27	108000	4400	28100
3	Allahabad	20	-	2	1	23	20	43	172000	4400	44100
4	Ambedkar Nagar	9	1	-	-	10	9	19	76000	4400	20100
5	Amethi	13	0	0	0	13	13	26	104000	4400	27100
6	Amroha(JP Nagar)	6	-	-	-	6	6	12	48000	4400	13100
7	Auraiya	7	-	-	-	7	7	14	56000	4400	15100
8	Azamgarh	22	-	1	1	24	22	46	184000	4400	47100
9	Bagpat	6	-	-	-	6	6	12	48000	4400	13100
10	Bahraich	14	-	1	1	16	14	30	120000	4400	31100
11	Ballia	17	-	1	1	19	17	36	144000	4400	37100
12	Balrampur	9	-	1	1	11	9	20	80000	4400	21100
13	Banda	8	-	1	1	10	8	18	72000	4400	19100
14	Barabanki	15	-	1	1	17	15	32	128000	4400	33100
15	Bareilly	15	-	1	1	17	15	32	128000	4400	33100
16	Basti	14	-	1	1	16	14	30	120000	4400	31100
17	Bijnor	11	1	-	1	13	11	24	96000	4400	25100
18	Budaun	15	-	1	1	17	15	32	128000	4400	33100
19	Bulandshahar	16	1	1	1	19	16	35	140000	4400	36100
20	Chandauli	9	-	1	-	10	9	19	76000	4400	20100
21	Chitrakoot	5	1	-	-	6	5	11	44000	4400	12100
22	Deoria	16	-	1	1	18	16	34	136000	4400	35100
23	Etah	8	-	1	1	10	8	18	72000	4400	19100
24	Etawah	8	-	1	1	10	8	18	72000	4400	19100
25	Faizabad	11	-	1	1	13	11	24	96000	4400	25100
26	Farrukhabad	7	-	1	1	9	7	16	64000	4400	17100
27	Fatehpur	13	-	1	1	15	13	28	112000	4400	29100
28	Firozabad	9	1	1	1	12	9	21	84000	4400	22100
29	G B Nagar	4	1	-	-	5	4	9	36000	4400	10100
30	Ghazipur	4	1	1	1	7	4	11	44000	4400	12100
31	Ghazipur	16	-	1	1	18	16	34	136000	4400	35100
32	Gonda	16	-	1	1	18	16	34	136000	4400	35100
33	Gorakhpur	19	-	1	1	21	19	40	160000	4400	41100
34	Hamirpur	7	-	1	1	9	7	16	64000	4400	17100
35	Hapur	4	0	0	0	4	4	8	32000	4400	9100
36	Hardoi	19	-	1	1	21	19	40	160000	4400	41100
37	Hathras	7	1	-	1	9	7	16	64000	4400	17100
38	Jalaun	9	-	1	1	11	9	20	80000	4400	21100
39	Jampur	21	-	1	1	23	21	44	176000	4400	45100
40	Jhansi	8	-	1	1	10	8	18	72000	4400	19100
41	Kannauj	8	1	-	-	9	8	17	68000	4400	18100
42	Kanpur Dehat	10	1	-	-	11	10	21	84000	4400	22100
43	Kanpur Nagar	10	-	2	1	13	10	23	92000	4400	24100
44	Kashganj	7	-	1	-	8	7	15	60000	4400	16100
45	Kaushambi	8	1	-	-	9	8	17	68000	4400	18100
46	Kushinagar	14	1	-	-	15	14	29	116000	4400	30100
47	Lakhimpur Kheri	15	-	1	1	17	15	32	128000	4400	33100
48	Lalitpur	6	-	1	1	8	6	14	56000	4400	15100
49	Lucknow* (+3 Block)	11	1	1	2	15	8	23	92000	4400	24100
50	Maharajganj	12	1	-	-	13	12	25	100000	4400	26100
51	Mahoba	4	1	-	1	6	4	10	40000	4400	11100
52	Mamupuri	9	-	1	1	11	9	20	80000	4400	21100
53	Mathura	10	-	1	1	12	10	22	88000	4400	23100
54	Mau	9	1	-	-	10	9	19	76000	4400	20100
55	Meerut	12	-	1	1	14	12	26	104000	4400	27100
56	Mirzapur	12	-	1	1	14	12	26	104000	4400	27100
57	Moradabad	8	-	1	1	10	8	18	72000	4400	19100
58	Muzaffar Nagar	9	-	1	1	11	9	20	80000	4400	21100
59	Pilibhit	7	-	1	1	9	7	16	64000	4400	17100

Sl No.	Districts	No. of Block	DCH	DMH	DWH	Total units	No. of Block level MCTS computers	Total	For AMC of computers, printers and UPS @ Rs 4000	For AMC of DPMU MIS computers, printers and UPS @ Rs 4400	Total amount for AMC in Rupees. (For 03 Month)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6	Col.7= Col.(3+4+5+6)	Col.8	Col.9= Col.(7+8)	Col.10= Col.9 x Rs.4000	Col.11	Col.12= Col.(10+11)/12*3Month
60	Pratapgarh	17	-	1	1	19	17	36	144000	4400	37100
61	Rae Bareilly	18	-	1	1	20	18	38	152000	4400	39100
62	Rampur	6	-	1	1	8	6	14	56000	4400	15100
63	Saharanpur	11	-	1	1	13	11	24	96000	4400	25100
64	Sambhal	8	-	-	-	8	8	16	64000	4400	17100
65	Sant Kabir Nagar	9	-	-	-	9	9	18	72000	4400	19100
66	S R Nagar (Bhadoli)	6	-	1	-	7	6	13	52000	4400	14100
67	Shahjahanpur	15	-	1	1	17	15	32	128000	4400	33100
68	Shamli	5	0	0	0	5	5	10	40000	4400	11100
69	Shrawasti	5	-	-	-	5	5	10	40000	4400	11100
70	Siddharth Nagar	14	1	-	-	15	14	29	116000	4400	30100
71	Sitapur	19	-	1	1	21	19	40	160000	4400	41100
72	Sonbhadra	8	1	-	-	9	8	17	68000	4400	18100
73	Sultanpur	13	-	1	1	15	13	28	112000	4400	29100
74	Unnao	16	-	1	1	18	16	34	136000	4400	35100
75	Varanasi	8	-	3	1	12	8	20	80000	4400	21100
	Total	823	19	56	53	951	820	1771	7084000	330000	1853500

रु० अट्ठारह लाख तिरपन हजार पांच सौ मात्र

अतः उपरोक्त दी गयी फांट के अनुसार 1,771 (820 Block MCTS+823 Block HMIS+128 DH) कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 हेतु रु० 4000.00 प्रतिवर्ष एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों में उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 हेतु रु० 4400.00 प्रतिवर्ष की दर से ए०एम०सी० हेतु 03 माह (01 अक्टूबर 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक) कुल रु० 18,53,500.00 (रु० अट्ठारह लाख तिरपन हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि को एफ०एम०आर० कोड संख्या B15.3.2.5 से जनपदों को अवमुक्त किया जा रहा है। कृपया उक्त मानकों के अनुसार एच०एम०आई०एस०/एम०सी०टी०एस० मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय एफ०एम०आर० कोड संख्या B15.3.2.5 से किया जाना सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश:

उक्त धनराशियों का व्यय "ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुनर्विनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियों समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफार्मेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU /NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्रांक:-एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0आई0एस0/बजट/2016-17/51-एच/

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0-एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(बी0के0 जैन)

महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0